

दिनांक 06.06.2018

रिपोर्ट पटवारी हल्का ऊखलिया, भू-अभिलेख निरीक्षक दांतडा एवं तहसीलदार हुरड़ा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम जूनीखेडा की जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 के खाता संख्या 08 की खातेदार आराजी नं.- 290/15 के बजाय आराजी नं.- 390/15 दर्ज कराना चाहा किन्तु प्रार्थी के द्वारा आराजी नं.- 290/15 के स्थान आराजी नं.- 390/15 करावाया जाने बाबत समुचित आधार नहीं होने से मैं न्यायालय प्रार्थी के आराजी नं. दुरस्त किया जाना उचित नहीं समझता है तदनुसार यह प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ़्तर करे। आदेश आज दिनांक 06.06.2018 को खुली लोक अदालत केम्प कोर्ट ऊखलिया पर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते



(नन्दकिशोर राजोरा)

पीठासीन अधिकारी, लोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर  
गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा